

सहायक न्यायालय (882)  
बाराक

सत ..... मुकाम .....

सुवाइराम बनाम हेमराम को

सम मुकदमा नं. 113/20 सन् 2020  
27 वा 88, 188 का. -

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/7/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 का. - राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/7/20 को पेश हो।</p>	
22/07/20	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 श्री शर्मा से वकील श्री जगदीश गौड़ा द्वारा वकालतनामा मय ईशबली जवाब पत्रा पेश किया गया। व वादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या - 1 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी लाइफ डे वकय के वादी संख्या - 2 स्वयं pw-1 गोपालम पुत्र हेमराम जाति- श्रील निवासी- मध्याह्न मन्दिर फेडर तहसील- गिरा 83 शपथ पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के 12 को लडे किया गया जिसे डोई इन्सुफेन्स नही चाही गई। अतः वादी वकय पत्रावली दिनांक 26/08/20 को पेश हो।</p>	<p>L.T. हेमराम L.T. जगदीश गोपालम L.T. गोपालम हेमराम गोपालम जगदीश 26/12 को लडे करण्डि वादी वकील</p>

सहायक न्यायालय (882)  
(08) 27/08/20

26/08/2020

वारी व उत्तिकाही (संख्या - 1) के वही  
 उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की  
 वदत सुनी गई, पञ्चावली व पञ्चावली के  
 संलग्न राजस्व रैड्स का शेवलोडन किया  
 गया। वही शेवलोडन उक्त विवादित आली  
 पैठुड साबित होली है। अतः वारीगण का वही  
 स्वीकार किया जाउर निर्णय मलय ले लिया  
 जाउर शामिल पञ्चावली किया गया। डिग्री पचा  
 जारी होउर पञ्चावली फॉर्मल शुमार होउर दर्ज  
 नम्बर ले कम हो, दायिल इमलर हो।

*(Signature)*  
 विभागाध्यक्ष (SDO)  
 26/08/2020

आयालय स  
 वादीगण  
 1. शेवलोडन पुत्र हेमारास  
 2. गोपारास पुत्र हेमारास  
 3. भंवारास पुत्र हेमारास  
 4. कुमारास पुत्र हेमारास  
 जाति

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 113/2020

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सवाईराम पुत्र हेमाराम
2. गोपाराम पुत्र हेमाराम
3. भंवराराम पुत्र हेमाराम
4. कुम्भाराम पुत्र हेमाराम  
जाति भील निवासी महादेव मन्दिर,  
परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. हेमाराम पुत्र स्वरूपाराम
2. रामाराम पुत्र स्वरूपाराम
3. मगाराम पुत्र पदमाराम
4. चुनाराम पुत्र पदमाराम
5. अचलाराम पुत्र पदमाराम
6. नरपतराम पुत्र पदमाराम
7. रतनाराम पुत्र पदमाराम
8. वालाराम पुत्र पदमाराम
9. लसाराम पुत्र पदमाराम
10. पेंपोदेवी पत्नी पदमाराम
11. मोहनीदेवी पत्नी बाबुलाल
12. पाबुराम पुत्र लालाराम जाति भील  
निवासी महादेव मन्दिर, परेउ  
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
13. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.



- संयुक्त :- 1. श्री महावीर जीनगर वकील वादीगण  
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1

:- निर्णय :-

दिनांक : 26/08/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 524, 1048/526, 1050/513 कुल रकबा 55.05 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही

विवेक व्यास  
सहायक कलक्टर (SBO)  
बायतु 8.2020

दायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काशत की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण स्वरूपाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 हिस्से के साथ व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 524, 1048/526, 1050/513 कुल रकबा 55.05 बीघा सम्पूर्ण हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को खुले न्यायालय

सहायक कलक्टर (SDO)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**अन्तिम डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु**  
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

**वादीगण**  
सवाईराम पुत्र हेमाराम वगैरा

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**  
हेमाराम पुत्र स्वरूपाराम वगैरा

**दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या-113/2020.

निर्णय दिनांक :- 26/08/2020

वादी की ओर से वकील श्री महावीर जीनगर व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/08/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा परेउ पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 39.0300 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 हिस्से के साथ व मौजा महादेव मन्दिर पटवार मण्डल परेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 524, 1048/526, 1050/513 कुल रकबा 55.05 बीघा सम्पूर्ण हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



*(Signature)*  
सहायक कलक्टर (800)  
26.8.2020

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**वाद के खर्चे**

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
<b>जोड़</b>		<b>जोड़</b>	

## वादीगण


1. सवाईराम पुत्र हेमाराम
2. गोपाराम पुत्र हेमाराम
3. भंवराराम पुत्र हेमाराम
4. कुम्भाराम पुत्र हेमाराम  
जाति भील निवासी महादेव मन्दिर,  
परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

## बनाम

## प्रतिवादीगण

1. हेमाराम पुत्र स्वरूपाराम
2. रामाराम पुत्र स्वरूपाराम
3. मगाराम पुत्र पदमाराम
4. चुनाराम पुत्र पदमाराम
5. अचलाराम पुत्र पदमाराम
6. नरपतराम पुत्र पदमाराम
7. रतनाराम पुत्र पदमाराम
8. वालाराम पुत्र पदमाराम
9. लसाराम पुत्र पदमाराम
10. पेंपोदेवी पत्नी पदमाराम
11. मोहनीदेवी पत्नी बाबुलाल
12. पाबुराम पुत्र लालाराम जाति भील  
निवासी महादेव मन्दिर, परेउ  
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
13. तहसीलदार गिड़ा



  
 सहायक कलेक्टर (SBO) 6.8.2020  
 (विशेष क्लर्क)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बायतु